कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान,

22 गोदाम, नेहरू सहकार भवन,

जयपुर ।

क्रमांक फा. 45(28)सविरा / बैंक–2 / व्यक्ति.दुर्घटना.बी.यो / 2015–16 दिनांक : 16/06/2016.

प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि.,
जयपुर

विषय : सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना
प्रसंग : माननीय सहकारिता राज्यमंत्री (स्व. प्रभार) का पत्र क्रमांक 5289 दिनांक 26.05.2016(आपको सम्बोधित है)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सहकार व्सक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के क्रियान्वयन को सुगम्य बनाने तथा योजना के प्रचार प्रसार हेतु माननीय मंत्री महोदय द्वारा कतिपय कार्यवाहियां सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है:–

1. योजनान्तर्गत सभी बीमित किसानों को पालिसी दस्तावेज जारी कराये जाएं।
2. केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों एवं व्यवस्थापकों की कार्यशालाएं आयोजित की जावें।
3. योजना व इसके प्रावधान, क्लेम प्रस्तुत करने की प्रक्रिया / आवश्यक दस्तावेज आदि की जानकारी वाला पर्याप्त आकार का बहुरंगी बैनर सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं, पैक्स / लैम्पस कार्यालयों तथा ईकाई कार्यालयों पर प्रदर्शित (Display) किया जावें।
4. क्लेम प्रस्तुत करने की आवश्यक औपचारिकताएं (दस्तावेज आदि) पूर्ण कराने की कार्यवाही प्रबन्ध निदेशक, बैंक स्वयं अपनी देखरेख में करायेगें।
5. पीडित परिवार / लाभार्थी को बीमा लाभ का चैक पूर्ण गरिमा व सम्मान के साथ कार्यक्रम पूर्वक जिले के प्रभारी मंत्री / सम्बन्धित विधायक द्वारा प्रदान कराया जावें। इस मौके पर प्रधान व सम्बन्धित सरपंचों की भी सक्रिय भागीदारी के प्रयास किये जावें।
6. यदि उक्तानुसार कार्यक्रम सम्भव नही हो सके तो बैंक के वरिष्ठ अधिकारी पीडित के निवास स्थान पर समिति अध्यक्ष व ग्राम पंचायत के सरपंच के साथ जाकर ससम्मान चैक सुपुर्द करके आएं।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि योजना की सफल क्रियान्विती हेतु समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें। योजना का प्रीमियम भिजवाने से लेकर यदि आवश्यक हो तो, क्लेम बनाने से भुगतान की प्रक्रिया को समयबद्ध ,पारदर्शी रखने हेतु कार्य करें।

भवदीय,

(signature) 15/6/16
(संजय पाठक)
संयुक्त रजिस्ट्रार(बैंकिंग)एस.टी.

✓ Copy to Sr PRO H.O. Jaipur for uploading on co-op. deptt. website

(signature)
JRB(ST) 16/6

३९५